

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/159910/SBL/SAMBHAL/1289/CFO
दिनांक : 02-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SHAGUN ACADEMY VILLAGE MILAK SARDAR SHAHPUR CHAMRAN TEHSIL AND DISTRICT SAMBHAL** पता **835 836 837 838, VILLAGE MILAK SARDAR SHAHPUR CHAMRAN, SAMBHAL** तहसील - **SAMBHAL** प्लॉट एरिया **7016.00 sq.mt** (वर्गमीटर); कुल कवर्ड एरिया **2802.45** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SHAGUN ACADEMY	3	0	12.22 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SHAGUN ACADEMY VILLAGE MILAK SARDAR SHAHPUR CHAMRAN TEHSIL AND DISTRICT SAMBHAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **05-06-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BRIJESH KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-06-2025** से **04-06-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SHAGUN ACADEMY VILLAGE MILAK SARDAR SHAHPUR CHAMRAN TEHSIL AND DISTRICT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SHAGUN ACADEMY VILLAGE MILAK SARDAR SHAHPUR CHAMRAN TEHSIL AND DISTRICT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : ज्वॉइन्ट रिपोर्ट में अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया तो प्रश्रुत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखते हुए संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधन की होगी। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। फायर उपकरणों का वार्षिक एओएमओसीओ/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्गत।

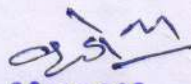
"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **05-06-2025**
स्थान : **SAMBHAL**


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
KRISHNA KANT OJHA

FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9
05-06-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.


Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)


Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)